21-12-23

सरकार बनाम उप०/सरकार पैरोकार तहसीलदार लैण्ड होल्डर करौली द्वारा प्रा. पत्र बाबत प्रस्तावना तलब तथा दावा विड्रो प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थी तहसीलदार लैण्ड होल्डर करौली द्वारा हस्ताक्षरित पेशकर निवेदन किया गया है कि इस दावो को विड्रो करना चाहते है। अतः आदेश प्रदान किये जाये। उक्तानुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 1(1) के आधार पर दावे को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। न्यायालय Invito beneficium non datur के सिद्धान्त से बाध्य है। अतः वाद विड्रो करने के आदेश प्रदान किये जाते है। परन्तु साथ ही चूंकि वाद राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था व अब बिना किसी स्पष्ट कारण के विड्रो किया जा रहा है। तो न्यायालय यह उचित समझता है कि राजकीय पैरोकार के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक विभागीय कार्यवाही यदि चाही जावे हेतु लाया जाना उचित होगा। अतः उक्तानुसार तहरीर भी जारी की जाये। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)